प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 22.09.2021

पुलिस मुठभेड़ में 02 अभियुक्त गिरफ्तार 01 अदद सुतली बम, 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद (थाना रानीगंज)–

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु निरंतर दिये जा रहे निर्देश के क्रम में कल दिनांक 21.09.2021 को समय लगभग 19:30 बजे को थानाक्षेत्र रानीगंज के जाजापुर में देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान पीआरवी–1985 पर नियुक्त हे0का0 काशीप्रसाद मिश्रा, का0 पंकज यादव व हो0गार्ड विजय सिंह के द्वारा मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को रोका गया तो पुलिस टीम को देखकर मोटर साइकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति मोटर साइकिल पर से अन्धेरे का सहारा लेकर कूद कर भागा जिसका उक्त पुलिस टीम के सदस्य द्वारा पीछा किया गया पर वह झाड़ियों में कही छिप गया। पुलिस टीम द्वारा पहले व्यक्ति (जगदीश पटेल पुत्र राजकुमार पटेल) को हिरासत में लेकर चेक किया गया तो उसके पास से एक अदद तमंचा व एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। इसकी सूचना उक्त पीआरवी द्वारा थाना रानीगंज पुलिस को दी गयी, जिसपर थानाध्यक्ष रानीगंज उ0नि0 श्री अनिल कुमार पाण्डेय मय हमराह तत्काल मौके पर पहुंचे।

उक्त दोनों पुलिस टीमों द्वारा झाड़ियों में छिपे हुये व्यक्ति की टार्च की रोशनी की सहायता से तलाश की जाने लगी इस पर झाड़ियों में छिपे व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम के ऊपर सुतली बम फेंका गया जो जमीन से टकराकर फट गया, जिसमें पुलिस टीम बाल–बाल बची। इस पर पुलिस टीम द्वारा सतर्कता पूर्वक घेराबन्दी करते हुये आवश्यक बल प्रयोग कर उक्त व्यक्ति (अरूण वर्मा पुत्र राम आसरे वर्मा) को झाड़ियों मे से निकालकर पुलिस हिरासत में लिया गया। पुलिस टीम द्वारा इस व्यक्ति को चेक किया गया तो उसके पास से एक अदद सुतली बम बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. जगदीश पटेल पुत्र राजकुमार पटेल नि0 केटवापुर थाना रानीगंज प्रतापगढ़।
2. अरूण वर्मा पुत्र रामआसरे वर्मा नि0 केटवापुर थाना रानीगंज प्रतापगढ़।

बरामदगी–

1. एक अदद तमंचा व एक अदद कारतूस 315 बोर।
2. एक अदद सुतली बम।

पंजीकृत अभियोग का विवरण–

1. मु0अ0सं0 514/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम जगदीश पटेल उपरोक्त।
2. मु0अ0सं0 515/21 धारा 307, 286 भादवि बनाम अरूण वर्मा उपरोक्त।
3. मु0अ0सं0 516/21 धारा 4/6 विस्फोटक अधि0 बनाम अरूण वर्मा उपरोक्त।

नोटः– उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु पीआरवी–1985 पर तैनात कर्मचारीगणों को श्रीमान क्षेत्राधिकारी रानीगंज द्वारा 2500/– रूपये नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

पुलिस टीम–

पीआरवी–1985 पर नियुक्त हे0का0 काशीप्रसाद मिश्रा, का0 पंकज यादव व हो0गार्ड विजय सिंह।

थानाध्यक्ष श्री अनिल कुमार पाण्डेय, उ0नि0श्री जयप्रकाश यादव, हे0का0 इरफान अहमद, का0 रवि सिंह, का0 यतेन्द्र कुमार व का0 राकेश सरोज।

'चोरी के जेवरात, 2200/– रू0 नकद व दो अदद पीतल के परात के साथ, 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कोतवाली नगर) –'

जनपद के थाना कोतवाली नगर से उ0नि0 श्री असलम खां मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 764/2021 धारा 457, 380, 411 भादंवि, से संबंधित वांछित अभियुक्त 01. अमानउल्ला उर्फ मुन्ना पुत्र हसमत उल्ला नि0 पाइक रोड बेगम वार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कोतवाली नगर के जीआईसी स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से (चोरी के) एक अदद पीली धातु की अंगूठी, दो अदद सफेद धातु की पायल, दो अदद पीतल की परात, दो अदद एल्यूमीनियम के भगोने व 2200/– रू0 नकद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 29.08.2021 को थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के पाईक रोड बेगम वार्ड में एक मकान में अमानउल्ला उर्फ मुन्ना व एक अन्य व्यक्ति द्वारा मकान की अलमारी व बक्से का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात(सोने का टप्स्, सोने की अंगूठी, चांदी की पायल), घर के बर्तन, कागजात व 15000 रू0 नकद चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 764/2021 धारा 457, 380 भादंवि का अभियोग उक्त दोनों व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

'गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–'

अमानउल्ला उर्फ मुन्ना पुत्र हसमत उल्ला नि0 पाइक रोड बेगम वार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगीः–

1. एक अदद पीली धातु की अंगूठी।
2. दो अदद सफेद धातु की पायल।
3. दो अदद पीतल की परात।
4. दो अदद एल्यूमीनियम के भगोने।
5. 2200/– रू0 नकद।

'पुलिस टीम–' उ0नि0 श्री असलम खां,का0 सौरभ सिंह व का0 अनिल कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार (थाना रानीगंज)–

जनपद के थाना रानीगंज से उ0नि0 श्री अनिल कुमार मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग/तलाश वांछित के दौरान थाना सांगीपुर के एनबीडब्ल्यू केस नं0 मु0अ0सं0 279/18 धारा 128 सीआरपीसी लालती मौर्या बनाम अमर बहादुर से संबंधित वारंटी अभियुक्त अमरबहादुर पुत्र भईयाराम जाति मुराई नि0ग्राम बासी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र रानीगंज के ग्राम बासी (वारंटी के घर) से गिरफ्तार किया गया।